

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-2914/पांच-8-10-23रिट/11  
तखनक दिनांक: 04 नवम्बर 2013

कार्यालय ज्ञाप

"तब तक याचिकाकर्तों को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं प्रैक्टिस देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, जब तक कि यह दिनांक 28.11.03 के आदेश संख्या-आर-14015/24/98 यू0एण्ड एम0 (आर) (विटि) के प्राविधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रिया कलाप अथवा रिक्त को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा।"

संजय अग्रवाल  
प्रमुख सचिव।

संख्या-2914/पांच-8-10 तखनक  
प्रतिलिपि विन्मलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

- हेतु प्रेषित-
- 1- निदेशक, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
  - 2- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  - 3- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
  - 4- निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  - 5- संयुक्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी।
- ✓ मोहम्मद हाशिम इदरीसी अध्यक्ष बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0, टउन मार्केट, 8 सालबाग, लखनऊ, प्रा0शा0 कार्यालय-127/204, "एस" जूही, कानपुर।

आज्ञा से  
(राजेन्द्र कुमार गौयल)  
विशेष सचिव।

कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।  
पत्रांक: अ0नि0/प्राइवेट प्रैक्टिस-इलेक्ट्रोपैथिक/2013/5556 दिनांक: 25 नवम्बर 2013

- 1- प्रतिलिपि मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-6, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर निदेशक  
गोरखपुर  
20/11/13